न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 76 / 2023	2023 / 398	26–07–2023	20.11.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री पवन सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह निवासी कच्ची बस्ती ए–ब्लॉक, बुध विहार, शिकारीबास, अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) के, सुरक्षा पाईप लगी हुई 2 मोटर, 1 वेईंग मशीन, 3 रेग्यूलेटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री मोहन सिंह नरूका —वकील अप्रार्थी।

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) के, सुरक्षा पाईप लगी हुई 2 मोटर, 1 वेईंग मशीन, 3 रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 19.10.2022 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु कच्ची बस्ती, ए–ब्लॉक बुध विहार, शिकारी बास, अलवर शहर पर पहुंचे। मौके पर श्री पवन सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) में से इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से एलपीजी गैस को निकालकर वाहनों में भरने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर श्री पवन सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह की दुकान की जांच की गई, जिसमे 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) के, सुरक्षा पाईप लगी हुई 2 मोटर, 1 वेईंग मशीन, 3 रेग्यूलेटर पाये गये। श्री पवन सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री पवन सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग किया जा रहा था, जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) के, सुरक्षा पाईप लगी हुई 2 मोटर, 1 वेईंग मशीन, 3 रेग्यूलेटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) के, सुरक्षा पाईप लगी हुई 2 मोटर, 1 वेईंग मशीन, 3 रेग्यूलेटर को मै० अलवर इंडेन, शिवाजी पार्क, अलवर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) के, सुरक्षा पाईप लगी हुई 2 मोटर, 1 वेईंग मशीन, 3 रेग्यूलेटर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मिन पवनसिंह गैरसायल के यहां कुंआ पूजन तारीख 22–10–2022 को था मिन पवनसिंह ने व्यवसायिक सिलेण्डर लेने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला, जिस कारण मिन गैरसायल ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

आस पडोस से 9 सिलेण्डर कुंआ पूजन के लिए प्राप्त किये। प्रवर्तन अधिकारी ने मिन गैरसायल के घर कच्ची बस्ती ए–ब्लॉक शिवाजी पार्क अलवर पर तारीख 19–10–2022 को रेड मारी व उक्त 9 सिलेण्डर जो मिन गेरसायल ने कुंआ पूजन के लिए आस पडोस से इकटठे किये थे वो घर से जब्त कर लिए। मिन गैरसायल के पास ईको वाहन जो गैस किट की हैं मिन गैरसायल अपने वाहन में व्यवसायिक सिलेण्डर से गैस भरता है इस कारण मिन गेरसायल के घर में 2 मोटर, एक वेटिंग मशीन हलवाई के लिए सामान तोलने के लिए मिन गैरसायल ने मंगवायी थी, तीन रेग्यूलेटर, उक्त प्रवर्तन अधिकारी ने घर से जब्त किये हैं. मिन गैरसायल अपने वाहन में अपने घर पर व्यवसायिक सिलेण्डर भरता हैं। ताईद में 9 गैस पासबुक, 9 आधार कार्ड, 1 खुद का आधार कार्ड व गैस पासबुक पेश है। मिन गैरसायल ने आस पडोस से 9 सिलेण्डर कुंआ पूजन के लिए मांगे थे वो आस पडोस वाले मुझसे सिलेण्डर मांग रहे है। इसलिए मिन गैरसायल उक्त 9 सिलेण्डर सुपुर्दनामे पर प्राप्त करना चाहता है व उक्त वेट मशीन व 3 रेग्यूलेटर व 2 मोटर सुपुर्दनामे पर प्राप्त करना चाहता है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि उक्त 9 सिलेण्डर व वेट मशीन व 3 रेग्यूलेटर व 2 मोटर को मिन गैरसायल को सुपुर्दनामे पर दिलायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा मुख्य कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने उक्त गैस सिलेण्डरों को अपने घर पर आयोजित कुंआ पूजन के लिए आस पडोस से इकटठे किये थे तथा अप्रार्थी के पास ईको वाहन, जो गैस किट की हैं, में व्यवसायिक सिलेण्डर से गैस भरता है इस कारण अप्रार्थी के घर में 2 मोटर, एक वेटिंग मशीन हलवाई के लिए सामान तोलने के लिए अप्रार्थी ने मंगवायी थी, तीन रेग्यूलेटर, प्रवर्तन अधिकारी ने घर से जब्त किये थे। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री पवन सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह की दुकान पर 09 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा), सुरक्षा पाईप लगी हुई 02 मोटर, 01 वेईंग मशीन, 03 रेग्यूलेटर पाये गये। वक्त जांच श्री पवन सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री पवन सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग किया जा रहा था, जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा), सुरक्षा पाईप लगी हुई 02 मोटर, 01 वेईंग मशीन, 03 रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा), सुरक्षा पाईप लगी हुई 02 मोटर, 01 वेईंग मशीन, 03 रेग्यूलेटर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.11.24

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)